

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनुपसहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com
पत्रांक 1792/14-1, दिनांक: अलीगढ़: जनवरी 12 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

लोक निर्माण विभाग द्वारा एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु एटा में किमी 0 से 20 तक 22.80 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 2435 वृक्षों का पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी 0 21 से 24.3 तथा बरेली मथुरा मार्ग पर किमी 0 145 से 161.5 तक 24.008 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे० संरक्षित वन भूमि तथा 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।


महोदय,

लोक निर्माण विभाग द्वारा एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु एटा में किमी 0 से 20 तक 22.80 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 2435 वृक्षों का पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी 0 21 से 24.3 तथा बरेली मथुरा मार्ग पर किमी 0 145 से 161.5 तक 24.008 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे० संरक्षित वन भूमि तथा 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज के पत्रांक 827/14-1, दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्रांक 827/14-1, दिनांक 30.12.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, एटा एवं कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Received CCF Nodal
Copy with encl.
12/1/17
AE, PWD
Kangam

(बी० प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 2435 वृक्षों का पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तथा बरेली मथुरा मार्ग पर किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव। हाँ
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।



(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक

अलीगढ़ जिला, अलीगढ़।

तिथि:-10.01.2017

स्थान:-अलीगढ़।